

- राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुधार करना ।
- एक अनविरय गुणवत्ता आश्वासन ढाँचे (योग्यता का प्रमाणन) को अपनाना ।
- राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देना और संस्थानों के शासन में सुधार करना ।
- संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना ।
- सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त संकायों की उपलब्धता और रोज़गार के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना ।
- उच्च शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान के लिये एक सक्षम वातावरण बनाना ।
- उच्च शिक्षा की पहुँच से अछूते क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना कर क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना ।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वंचितों को पर्याप्त अवसर प्रदान कर इस क्षेत्र में पक्षपात को समाप्त करना ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rashtriya-uchchar-shiksha-abhiyan-2>

